



पत्रांक.....

राँची, दिनांक.....

लोक सुनवाई की सूचना

मेसर्स भारत कोकिंग कोल लि० के कलस्टर XVI कोल माईन्स (दहीबारी – बसंतीमाता ओ० सी० पी०, बसंतीमाता यू० जी० माईन्, न्यू लाएकडीह ओ० सी० पी०, दहीबारी वाशरी सहित, लाएकडीह डीप यू० जी०, चॉच यू० जी०, विक्टोरिया एरिया न० XII बी० सी० एल०) धनबाद का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि दिनांक 21.01.2012 (दिन-शनिवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे जी० एम० कैम्प कार्यालय, लाएकडीह, सी० भी० एरिया न० XII, धनबाद में निर्धारित की गई है।

उक्त योजना से सम्भावित प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों/नागरिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक सुनवाई में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से भाग लें एवं अपने विचार से अवगत करायें। इसके अतिरिक्त वे अपना सुझाव, विचार, मंतव्य अथवा आपत्ति यदि हो तो लिखित रूप से सूचना उक्त लोक सुनवाई की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची/जिले के उपायुक्त कार्यालय, धनबाद पर्षद के क्षेत्रीय कार्यालय सह प्रयोगशाला, एच० आई० जी०- 1, हाउसिंग कॉलोनी, हीरापुर, धनबाद में उपलब्ध करा दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०आइ०ए० अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2008 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या एस०ओ० 03067(ई०) दिनांक 01.12.09 के अनुरूप होगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा इसके सारांश की एक एक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी रहेगी। साथ ही कार्यकारी सारांश भी इन कार्यालयों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

1. उपायुक्त कार्यालय, धनबाद
2. जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद
3. जिला पर्षद/नगर निगम धनबाद
4. मुख्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, एच० आई० जी०- 1, हाउसिंग कॉलोनी, हीरापुर, धनबाद।
6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, ए-3, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023
7. संबंधित पंचायत।
8. संबंधित प्रखण्ड विकास पदा०/अंचलाधिकारी कार्यालय।

(एस०के० सिन्हा)
सदस्य सचिव